

संसद की प्रवर समिति

हाल ही में [दिल्ली सेवा वधियक](#) के लिये एक प्रवर समिति के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जब कई संसद सदस्यों (सांसदों) ने दावा किया कि उनका नाम उनकी सहमति के बिना शामिल किया गया था।

- हालाँकि दिल्ली सेवा वधियक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है।

प्रवर समिति:

- परिचय:**
 - प्रवर समितियाँ विशेष वधियकों की जाँच और निरीक्षण करने के वशिष्ट उद्देश्य से स्थापित [तदर्थ या अस्थायी समितियाँ](#) की एक श्रेणी है।
 - इसकी सदस्यता एक सदन के सांसदों तक सीमित है।
 - ये समितियाँ अपना निर्धारित कार्य पूर्ण होने पर भंग कर दी जाती हैं।
 - हालाँकि अस्थायी, प्रवर समितियों को न्यतिरति करने वाली प्रक्रियाएँ और नयिम संसद की प्रक्रिया के नयिमों में अच्छी तरह से परिभाषित हैं।

नोट: किसी वशिष्ट उद्देश्य के लिये गठित समितियाँ, जिनमें दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं, संयुक्त संसदीय समितियाँ (JPC) कहलाती हैं।

- प्रवर समिति का गठन:**
 - इस समिति का गठन वधियक के प्रभारी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकता है।
 - इस प्रस्ताव को अपनाने के लिये सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो संदर्भित वधियक पर विचार करने और रिपोर्ट देने के लिये समिति का गठन किया जाता है।
- प्रवर समिति के लिये सदस्यों का चयन :**
 - प्रवर समिति के सदस्यों को विशेष रूप से उस प्रस्ताव में नामित किया जाता है जो वधियक को समिति के पास भेजने की मांग करता है।
 - इन सदस्यों को सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है, साथ ही उनकी सहमति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
 - जबकि राजसभा के नयिम हैं कि किसी भी सदस्य को प्रवर समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता है यदि वे इसमें कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, नयिमों में स्पष्ट रूप से प्रस्तावित सदस्यों के लिये हस्ताक्षर एकत्र करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
- कोरम:**
 - प्रवर समिति की संरचना उसके उद्देश्य के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। यह कुल सदस्यों की संख्या के एक-तहाई के कोरम के साथ संचालित होता है।
 - यदि मतों में समानता हो तो अध्यक्ष (पीठासीन) के पास निर्णायक मत होता है।
- कार्य:**
 - प्रवर समिति का प्राथमिक कार्य वधियक की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है, इसके खंडों की जाँच करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उपाय इच्छति उद्देश्य के साथ ठीक रूप से प्रतबिबित हैं।
 - यह समिति विशेषज्ञों, मौखिक साक्ष्यों और सरकारी अधिकारियों से ज्ञापनों के माध्यम से जानकारी एकत्र कर सकती है।
 - साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह समिति अपने निष्कर्ष तैयार करती है, जिसमें वधियक के उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिये खंडों में संशोधन शामिल हो सकता है।
 - यह वधियक के वशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिये उप-समितियाँ भी बना सकती है।
 - किसी भी असहमतपूर्ण राय सहित इस समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है।
 - इस प्रवर समिति की रिपोर्टें अनुशासनात्मक प्रकृतिकी होती हैं। सरकार समिति की सफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में नमिंनलखिति में से कौन सी संसदीय समति जाँच करती है और सदन को रपिर्ट करती है कसंवधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिंमों, नयिंमों, उप-नयिंमों, उप-वधियिंमों आदि को बनाने की शक्तियिंमों का कार्यपालकिा द्वारा प्रतनिधिंमिंडल के दायरे में उचति रूप से प्रयोग कयिा जा रहा है। (2018)

- (a) सरकारी आशवासनों संबंधी समति
- (b) अधीनस्थ वधिान संबंधी समति
- (c) नयिंम समति
- (d) कार्य मंत्रणा समति

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/select-committee-of-parliament>

